

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 जनवरी 2012—पौष 23 शक 1933

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश

झाबुआ, दिनांक 30 दिसम्बर 2011

क्र. 6683-वलि-2-2011.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 05 (1) (ख) के अंतर्गत संक्रमणशील क्षेत्र अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र, ग्राम पंचायत मेघनगर को मध्यप्रदेश शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रं. 37 एफ-4-114-2009-अठारह-3, भोपाल दिनांक 9 अगस्त 2011 द्वारा ग्राम पंचायत मेघनगर, जिला झाबुआ में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण, दिनांक 9 अगस्त 2011 के पृष्ठ क्रमांक 378 पर अधिसूचित कर नगर परिषद् मेघनगर, तहसील मेघनगर, जिला झाबुआ का गठन किया गया है.

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 05 (1) (ख) की अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में हो जाने से मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 125 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, जयश्री कियावत, कलेक्टर जिला झाबुआ, एतद्वारा ग्राम पंचायत मेघनगर, तहसील मेघनगर, जिला झाबुआ को आज दिनांक 30 दिसम्बर 2011 को विघटित करती हूँ.

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 06 के अंतर्गत अधिसूचना एवं आदेश का प्रसारण ग्राम पंचायत क्षेत्र मेघनगर, जनपद पंचायत मेघनगर, तहसील मेघनगर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) थांदला एवं कलेक्टर कार्यालय झाबुआ के सहज दृश्य स्थानों पर चस्पा कर, सर्वसाधारण को (हिन्दी के समाचार-पत्र में) सूचित किया जाता है.

जयश्री कियावत, कलेक्टर.